न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

बइजलास दीपक सिंह खटाना (RAS)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
14 / प्रा0पत्र / 2024	28.05.2024	27.01.2025

1. धनराज रेगर
2. मुकेश कुमार
3. महेन्द्र
4. सुरेश पिसरान दुर्गालाल जी जाति रेगर निवासी ग्राम सारसला तहसील के0पाटन जिजा बून्दी राज0

.........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब के0पाटन जिला बून्दी

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री गोविन्द शर्मा
2. अप्रार्थी की ओर से सरकार पैरोकार

प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है कि :–

1. यह कि आराजी भूमि खसरा संख्या 192 रकबा 0.40 है0 वाके माल सारसला तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जिसके साबिक नम्बर 59 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा है। उक्त भूमि आवंटित है और विरासत के रूप में प्रार्थीगण के पिता दुर्गालाल व काका सीताराम के गैरखातेदारी दर्ज है।
2. यह कि उक्त भूमि आंवटन आदेशानुसार मृतक आंवटी गंगाराम आ0 रतना के वारिसान दुर्गालाल, सीताराम पिसरान गंगाराम के गैरखातेदारी में दर्ज है।
3. यह कि प्रार्थीगण के पिता दुर्गालाल आ0 गंगाराम का देहान्त दिनांक 21.03.2019 को हो चुका है तथा प्रार्थीगण मृतक के विधिक वारिसान है।
4. यह कि आंवटन के समय आवंटी गंगाराम आ0 रतना जाति चमार लिख दिया गया है, तथा आवंटी के देहान्त के बाद पुत्र दुर्गालाल व सीताराम की जाति बैरवा का अंकन कर दिया है, आंवटी व उसके दोनो पुत्र अनपढ होने से कभी भी जाति का अंकन रेवेन्यु रिकार्ड में नही देखा, जबकि आंवटी व उसके दोनो पुत्र जाति से रेगर हैं तथा मृतक दुर्गालाल के वारिसान प्रार्थीगण भी रेगर ही लिखते है। चमार बैरवा व रेगर तीनो अनुसुचित जाति से आंवटि, प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता दुर्गालाल सभी अनुसुचित जाति से है तथा आवंटन शुदा पर काश्त करते चले आ रहे है।
5. यह कि प्रार्थीगण के सभी शैक्षणिक दस्तावेज में रेगर जाति का अंकन है तथा मृतक गैरखातेदार दुर्गालाल की जाति में बैरवा लिखा होने से हल्का पटवारी ने विरासत का फोती नामान्तरण खोलने से मना कर दिया, इसलिए चमार बैरवा के स्थान पर रेगर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

Scanned with OKEN Scanner

6\. यह कि न्यायहित में आवश्यक है कि प्रार्थी का मृतक खातेदार दुर्गालाल बैरवा जो प्रार्थीगण के पिता है, उनके स्थान पर फौती नामान्तरकरण के रूप में रेगर अंकित किया जाकर इसी अनुरूप जमांबन्दी में बैरवा के स्थान पर रेगर अंकन किया जावे ताकि प्रार्थीगण विधिवत रूप से मृतक पिता के स्थान पर फौती नामान्तरकरण दर्ज करवा सके।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर फौती नामान्तरकरण हेतु गैरखातेदारी जमांबन्दी में बैरवा के स्थान पर रेगर का अंकन किया जाकर इसी अनुसार जमाबन्दी में जाति में स्थान पर दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार पैरोकार तहसीलदार के0पाटन से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सारसला की जमाबंदी संवत 2075–78 जमाबंदी संवत 2078 (2021 से स्थायी) के खाता संख्या 281 किता 1 रकबा 0.40 है0 पर दुर्गालाल पि. गंगाराम हि. 1/2 सीताराम पि. गंगाराम हि. 1/2 जाति बैरवा सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। उक्त खाता शामलात है। वादी धनराज, मुकेश कुमार, महेन्द्र, सुरेश पि. दुर्गालाल जाति रेगर के बारे में ग्राम सारसला मजमे आम में जानकारी ली गई। उपरिथत ग्रामवासियों की जानकारी के अनुसार धनराज, मुकेश कुमार, महेन्द्र, सुरेश की जाति बैरवा के स्थान पर रेगर होना बताया गया। प्रार्थीगण मृतक खातेदार दुर्गालाल के वारिसान होना बताया गया। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजो में भी जाति बैरवा के स्थान पर रैगर अंकित है। वकील प्रार्थीगण ने साक्ष्य में आधार कार्ड एवं धनराज पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर का जाति प्रमाण–पत्र एवं ग्राम पंचायत सारसला का प्रमाण पत्र पेश किया है।

बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर तहसीलदार के0पाटन से प्राप्त जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों में अंकित जाति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या 281 खसरा संख्या 192 रकबा 0.40 है0 वाके माल सारसला तहसील के0पाटन में प्रार्थीगण के पिता एवं काका की जाति "बैरवा के स्थान पर रेगर" अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। मुताबिक आदेश की पालना करने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार के0पाटन को भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner